न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–37/2021

सैयद गुलरेज होदा...वादी

बनाम

कमर परवेज एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
18.03.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 18.02.2025 आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से दिनांक 18.02.2025 को आदेश 39 नियम 01, 02 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत आवेदन दिया गया है। **आदेश** प्रस्तुत वाद मुदई ने मद नं0–01 अर्जे नालिश की एराजी में अपने रशदी हिस्सा 14/648 भाग घोषित करने वास्ते लाया है जो अभी विवाधक बिन्दु तय करने और कागजात दाखिला वास्ते चल रहा है। बंटवारा तलब जायदाद मद नं0–01 अर्जे नालिश मुदई की खतियानी और इजमाली एराजी है जिसको विधिवत रशदी हिस्सा के मुताबिक पक्षकारों के बीच तकसीम करने वास्ते यह वाद लाया गया है। यह कि सभी तथ्यों का स्पष्ट खुलासा मुदई ने अपने अर्जे नालिश में कर दिया है। जिसे इस आवेदन का अंश तस्व्वर फरमाया जाय। मौजा लौरिया अन्तर्गत खाता सं0– 284 का हाल सर्वे खतियान शेख रियासत हुसैन और मिर अब्दुल हक के नाम से दर्ज और तैयार हुआ। नालिशी एराजी खाता नं0–284 , खेसरा नं0–726 के हाल सर्वे खतियान में 1 बिगहा 4 कट्ठा 14 धुर एराजी दर्ज है, लेकिन नक्शा से शहरजमीं पर खेसरा नं0–726 में 01 बीगहा 01 कट्ठा 15 धुर और खेसरा नं0–727 में कट्ठा 08 धुर जमीन ही हो रहा है। इस वाद में पक्षकारगण खतियानी रकबा के अनुसार अपना दावा करते हुए अंचल कार्यालय लौरिया में अपना जमाबंदी कायम कराये थे परन्तु अंचल में फरिकैनों के नाम से कायम हुए जमाबंदी में किसी भी फरीक द्वारा कोई भी चौहदी दर्ज नहीं की गई है। उक्त जमाबंदी में मुदालह पंचम पक्ष द्वारा दिये गए आवेदन से अलग अंचल अमलेगान	

लगातार **18.03.2025**	को अपने मेल में लेकर अपने नाम से खेसरा नं0–727 में अपने हिस्से से अधिक एराजी 01 कट्ठा 09 धुर एराजी का जमाबंदी कराकर अपना दावा करते है। यह कि जैसा कि अर्जे नालिश में बयान किया गया है कि खाता नं0–284 के साथ कुछ और खाता का हाल सर्वे खतियान रियासत हुसैन और मिर अब्दुल हक के नाम से तैयार हुआ। रियासत हुसैन नावल्द थे और सम्पूर्ण खतियानी एराजी का अपने रशदी हिस्सा के मुताबिक खतियानी रकबा का आधा भाग दूसरे खतियानी रैयत मीर अब्दुल हक के लड़के अब्दुल गफुर को बिना नापी जोखी के बख्शीश कर दिये। इस तरह खेसरा नं0– 727 में कुल खतियानी रकबा 02 कट्ठा 14 धुर में मिर अब्दुल हक के वारिसानों का हिस्सा 01 कट्ठा 09 धुर नहीं हो सकता। उक्त खेसरा का शहरजमीं पर रकबा मात्र 02 कट्ठा 8 धुर ही है जिसमें मिर अब्दुल हक के वारिसानों का हिस्सा मात्र 01 कट्ठा 04 धुर ही हो सकता है जबकि मुदालह पंचम पक्ष के द्वारा अंचल अमलेगान को अपने मेल में लेकर खेसरा नं0–727 में आयशा खातुन के नाम से अंचल दाखिल खारिज वाद सं0–321/1986–87 से 01 कट्ठा 09 धुर की जमाबंदी अपने नाम से कराकर अपना दावा करते है जिसके कारण विवादित स्थल पर काफी तनाव है और खुन–खराबा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार सभी फरीकों द्वारा हाल सर्वे नक्शा के अनुसार अपना दावा न कर खतियानी रकबा के अनुसार अपना दावा किया जा रहा है जो फरिकैनों के बीच झगड़ा–झंझट का कारण बना हुआ है। नालिशी एराजी अब आवासीय स्थान के रूप में विकसित हो चुकी है जिससे जमीन के एक–एक अंश का महत्व बढ़ गया है। यह कि मुदालह सदर अपने हिस्से की एराजी खतियानी रकबा के मोताबिक दबंगों और अपराधिक किस्म के व्यक्तियों के हाथ बिक्री करने की बातचीत कर रहे है। यदि किसी फरीक द्वारा ऐसा कृत्य कर	

लगातार **18.03.2025**	दस्तावेज निष्पादित कर दिया जाता है तो इस वाद में लिटिगेशन बढ़ेगा जिससे खून–खराबा हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि पक्षकारों को नालिशी एराजी में से किसी भी अंश को किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी तरह का दस्तावेज निष्पादित करने से ता फैसला मोकदमा रोक लगा दिया जाय। यदि किसी फरिकैन को अपनी जमीन बिक्री करने अथवा बख्शीश करने की आवश्यकता पड़े तो वे न्यायालय की अनुमति लेकर ही बिक्री अथवा बख्शीश कर सके। इसलिए यह निषेधाज्ञा का आवेदन दिया जाता है। यह कि प्रस्तुत वाद में मुदई के द्वारा नालिश के साथ ही एक निषेधाज्ञा का आवेदन दिया गया था। जिसको श्रीमान् के द्वारा बिना परिस्थितियों के गंभीरता का आकलन किये हुए दिनांक 26.09.2023 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से उत्साहित होकर मुदालह सदर द्वारा वहां के दबंग भू–माफिया के हाथों वादी के खतियानी जमीन के एक टुकड़े को बिक्री कर दिया तथा अब नालिश एराजी के अंश भाग की बिक्री की बातचीत उक्त भू–माफिया से कर चुके है। तथाकथित रूप से बयाना भी ले चुके है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा वादी से उनके करपरदाज को मारने–पिटने और गलत मोकदमा में फंसाने की धमकी देते है जिससे वादी और उनके करपरदाज काफी डरे हुए है। इन तथ्यों की जानकारी के पश्चात् मुदई के लिए यह आवश्यक हो गया है कि पुन : श्रीमान् के पास निषेधाज्ञा का आवेदन समर्पित करे। वादी निवेदन करते है कि तत्कालिक घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए इस वाद के सभी फरिकैनों को नालिश एराजी के किसी भी अंश के निस्वत किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का दस्तावेज निष्पादन करने से ब–मकोदमा रोक लगाने का आदेश दिया जाय। लेहाजा यह निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। यह कि संयुक्त हिस्सेदारी के आधार पर मुदई को प्रथम दृष्टवा का वाद प्राप्त है तथा	

लगातार **18.03.2025**	सुविधा का संतुलन संयुक्त स्वत्व एवं संयुक्त हिस्सेदारी के आधार पर मुदई के पक्ष में बराबर का है और किसी फरीक द्वारा नालिश एराजी को बिक्री करने या बख्शीश करने से मुदई के साथ अन्य पक्षकारों को भारी क्षति हो सकती है। अतः निवेदन है कि नीचे वर्णित एराजी नालिशी को ब–दौरान मोकदमा बगैर न्यायालय के आदेश के किसी भी फरीक को बिक्री अथवा बख्शीश करने से मार्फत निषेधाज्ञा रोक लगाने का आदेश दिया जाय। दूसरी ओर वादी के इस आवेदन का प्रतिवादी सं0–06 से 13 तक तथा प्रतिवादी सं0–22 से 27 के द्वारा no objection दिया गया है। वादी के अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी ने यह बंटवारा वाद मद सं0–01 अर्जी नालिश की एराजी में अपने रसदी हिस्सा 14/648 भाग घोषित करने के लिए लाया है। वादी का यह कहना है कि बंटवारा तलब जायदाद मुदई की खतियानी व इजमाली जायदाद है जिसको विधिवत हिस्सा के मुताबिक पक्षकारों के बीच तकसीम किया जाना है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि पूर्व में भी वादी द्वारा एक निषेधाज्ञा आवेदन दाखिल किया गया था जिसको इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2023 को खारिज कर दिया गया। वादी भी इस तथ्य को स्वीकार करते है और कहते है कि उक्त आदेश से उत्साहित होकर मुदालय सदर द्वारा वहां के दबंग भू–माफिया के हाथों वादी	

लगातार 18.03.2025	के खतियानी जमीन के टुकड़े को बिक्री कर दिया गया तथा नालिश एराजी की बिक्री की बातचीत उक्त भू–माफिया से कर चुके है तथा बयाना भी ले चुके है। अतः पुनः निषेधाज्ञा का आवेदन देना आवश्यक हो गया है। वादी का यह भी कहना है कि इस वाद के कुछ पक्षकार अंचल अमलेगान को मेल में लेकर अपने हिस्से से अधिक की एराजी पर जमाबंदी करा लिए है जिसके कारण विवादित स्थल पर काफी तनाव है तथा खून–खराबा की स्थिति पैदा हो गई है। वादी का आगे कहना है कि संयुक्त हिस्सेदारी के आधार पर मुदई को प्रथम दृष्टया प्राप्त है और नालिश एराजी में से किसी फरीक द्वारा बिक्री या बख्शीश किया जाता है तो अन्य पक्षकारों को भारी क्षति होगी। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वादी के द्वारा प्रतिवादी सं0–31 सैयद मसीहा जलाल द्वारा गौरी शंकर ठाकुर के पक्ष में दस्तावेज सं0–63/87 दिनांक 03.08.2024 के माध्यम से बिक्रित जमीन का कम्प्यूटरीकृत छायाप्रति दाखिल किया गया है। चूंकि, यह बंटवारा वाद है इसमें सभी फरीकानों का हित निहित है और अगर बंटवारा होने से पूर्व इसका कोई भी अंश किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी तरह का हस्तानान्तरण किया जाता है तो वाद की गुणात्मकता बढ़ेगी तथा वाद के निष्पादन में भी विलम्भ होगा। अतः न्यायहित	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–37/2021

सैयद गुलरेज होदा...वादी

बनाम

कमर परवेज एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **18.03.2025**	में वादी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा दोनों पक्षों को यह आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त का कोई भी हिस्सा बिना न्यायालय के अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादन नहीं करेंगे। वादी को तथा प्रतिवादीगण को भी यह आदेश दिया जाता है कि वह वाद के यथाशीघ्र निष्पादन में न्यायालय का सहयोग करेंगे। आगामी दिनांक 08.05.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	